भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1748**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**दिव्यांग बालिकाओं के साथ लैंगिक हिंसा**

**1748. श्री राजकुमार धूत:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिव्यांग बालिकाओं और महिलाओं पर होने वाली लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन में उजागर किया गया है कि अपराधियों पर उनकी निर्भरता के कारण उनका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार देश में दिव्यांग बालिकाओं और महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षा प्रदान करने

के लिए किन-किन कार्रवाईयों का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

(क) एवं (ख) : दिव्‍यांग बालिकाओं और महिलाओं पर होने वाली लैंगिक हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है ।

(ग) : दिव्‍यांग व्‍यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-92 में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित के संबंध में दंड का प्रावधान है :

1. किसी विकलांग व्‍यक्ति को अपमानित करने अथवा दिव्‍यांग महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर आक्रमण करता है अथवा बल प्रयोग करता है ।
2. किसी दिव्‍यांग बच्‍चे अथवा महिला की इच्‍छा पर प्रभुत्‍व की स्थिति में होने के नाते उस स्थिति का इस्‍तेमाल महिला का लैंगिक शोषण करने के लिए करता है ।

\*\*\*\*\*